JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

(नर्मदापुरम जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. मीना कीर
सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य)
श्शा. नर्मदा महाविद्यालय, नर्मदापुरम (म.प्र.)

वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में विकास की अनंत संभावनाओं को देखा जा रहा है। भारत में शिक्षा की गुणवता को बढ़ाने और नवाचार तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिये सभी के लिये शिक्षा को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है। भारत के संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, अर्थात शिक्षा से सम्बंधित योजनाओं, नीतियों, नियमों एवं प्रावधानों को केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारें भी अपने प्रदेशों में लागू कर सकती हैं। वर्तमान में केन्द्र में एवं देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये अनेक योजनाएं संचालित हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी प्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं विभिन्न वर्गों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने के लिये विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत माता अथवा पिता की संतान का उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि के माध्यम से उसके समस्त शैक्षणिक शुल्कों की प्रतिपूर्ति करते हुए उसे निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान कराना है।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के सकारात्मक पक्ष तथा इस योजना में अब तक हुइ प्रगति को रेखांकित करते हुए भविष्य में गरीब तबके के लिये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ संभावनाओं का विश्लेषण करना है।

शब्द कुंजी – मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना – आवश्यकता, उद्देश्य, महत्वपूर्ण बिन्दु, योजना के प्रावधान, चुनौतियां और संभावनाएं।

प्रस्तावना –

समाज के प्रत्येक वर्ग को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिये देश के विभिन्न राज्यों में कई प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से कई योजनाएं छात्रवृत्ति योजनाओं के रूप में संचालित हैं, जिनके अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के अनुसार निर्धारित राशि अपने बैंक खाते में प्राप्त करते हैं, किन्तु इसके पूर्व उन्हें संस्था को देय शुल्क का भुगतान करना होता है।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना उक्त योजनाओं से कुछ पृथक योजना है। यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शासन के श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिये वर्ष 2018–19 से निरंतर संचालित की जा रही है। इस योजना के संचालन के लिये मध्यप्रदेश शासन का नोडल विभाग तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग तथा रोजगार विभाग है।

योजना की पात्रता के प्रावधान –

1. मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदक विद्यार्थियों की पात्रता हेतु विद्यार्थी के माता अथवा पिता का मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।
2. यह योजना वर्ष 2018–19 से निरंतर संचालित है। वर्ष 2018–19 के पूर्व के वर्षों का लाभ इस योजना के अंतर्गत प्राप्त नहीं होगा।
3. इस योजना से लाभान्वित होने हेतु जाति बंधन नहीं है। इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी ले सकते हैं।
4. यह योजना 12वीं कक्षा में स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये भो लागू है।
5. इस योजना का लाभ प्रवेशित प्रथम वर्ष के साथ ही मान्य पाठ्यक्रम के अन्य वर्षों में भी प्राप्त होता रहेगा।
6. यदि किसी विद्यार्थी ने वर्ष 2017 के पूर्व उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लिया है, तो उसे भी वर्ष 2018–19 से इस योजना का लाभ पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर मिल सकेगा।
7. वर्ष 2018–19 से पूर्व के वर्षों का लाभ इस योजना के अंतर्गत नहीं मिल सकेगा।
8. इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ड्यूल डिग्री या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स में प्रवेश लेने पर पात्रता सम्बंधी शर्तों को पूर्ण करने पर लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

9. भारत सरकार के ऐसे सभी संस्थान जो स्वयं प्रवेश परीक्षा का आयोजन करते हैं, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए मान्य किया गया है।
10. नीट के आधार पर शासकीय मेडीकल कॉलेज अथवा डेंटल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. अथवा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम तथा प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडीकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।
11. भारत सरकार के ऐसे संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है, के अभ्यर्थियों को भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
12. इस योजना के अंतर्गत जे.ई.ई. मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार तक रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शासकीय कॉलेज में प्रवेश लेने पर कॉलेज को देय शुल्क तथा प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश लेने पर कॉलेज को दय वास्तविक शुल्क (अधिकतम 1,50,000 रूपये) राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।
13. कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लेट) के माध्यम से विधि महाविद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियो को भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
14. क्लेट के अतिरिक्त अन्य किसी परीक्षा के माध्यम से विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर केवल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि से सम्बंधित स्नातक पाठ्यक्रम के अतर्गत ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
15. मध्यप्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों मं संचालित बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., नर्सिंग तथा स्नातक स्तर के समस्त पाठ्यक्रमों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, किन्तु निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये यह योजना लागू नहीं है।
16. मध्यप्रदेश शासन के समस्त पॉलीटेक्निक कॉलेज एवं आई.टी.आई.में प्रवेश लेने पर भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

योजना की प्रोत्साहन राशि –

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को उच्च शिक्षा के विभिन्न मान्य पाठ्यक्रमों में भारत सरकार/मध्यप्रदेश राज्य शासन/मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग/शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क का भुगतान किया जाता है। इस शुल्क में काशन मनी एवं मेस का शुल्क शामिल नहीं है।

वर्ष 2022–23 में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुल 14508 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 12760 आवेदनों को प्रमाणित किया जाकर कुल 12304 आवेदनों की राशि का भुगतान किया गया। वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भुगतान की गई कुल राशि 6 करोड़ 28 लाख 73 हजार 239 रूपये थी।

योजना के लाभ हेतु मान्य संस्थान –

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नोडल विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 9 जुलाई 2018 की कंडिका 3 के अनुसार निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु मान्यता प्राप्त संस्थान निम्नलिखित हैं –

1. केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के समस्त शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय (जे.ई.ई. मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार तक रैंक प्राप्त करने पर पूर्ण शुल्क)
2. अनुदान प्राप्त अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय (वास्तविक देय शुल्क अथवा अधिकतम 1,50,000 रूपये)
3. केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के शासकीय मेडीकल कॉलेज अथवा डेंटल कॉलेज
4. मध्यप्रदेश में स्थित अशासकीय मेडीकल कॉलेज।
5. केन्द्र सरकार के ऐसे मेडीकल संस्थान जो स्वयं प्रवेश परीक्षा का आयोजन करते हैं।
6. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अथवा राज्य के विधि महाविद्यालय।
7. बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., नर्सिंग तथा स्नातक स्तर के समस्त पाठ्यक्रम संचालित करने वाले केन्द्र एवं मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय।
8. मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जो डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं।
9. मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय आई.टी.आई.,जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करती हैं।
10. शासकीय मेडीकल कॉलेज अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडीकल साइंस के डिप्लोमा, डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आयोजिक करने वाले शासकीय संस्थान।

योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक प्रपत्र –

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी के पास निम्न प्रपत्रों का होना आवश्यक है –

1. मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग के अंतर्गत अभ्यर्थी के माता अथवा पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन प्रमाणपत्र अथवा कार्ड।

2. अभ्यर्थी की 10वीं की अंक सूची।
3. अध्ययन के लिये अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची/अभ्यर्थी की 12 वीं की अंकसूची।
4. प्रवेश परीक्षा (यदि दी हो) की अंक सूची।
5. शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण/रसीद (मेस एवं कॉशन मनी को छोड़कर)।
6. आधार क्रमांक।
7. आधार लिंक बैंक खाता (निजी अथवा अनुदान प्राप्त संस्था मे प्रवेश की स्थिति में)।

योजना का क्रियान्वयन –

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र आवेदकों को ऐबीवसंतीपचचवतजंसण्उचण्दपबण्पद पर जाकर सबसे पहले अपना पंजीयन कराना होता है, तत्पश्चात् यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड से पोर्टल पर ही आवेदन करना होता है। आवेदन का प्रिंट प्राप्त कर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित संस्था को प्रस्तुत करना होता है। सम्बंधित संस्था द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र पाये जाने पर पोर्टल पर सत्यापन, स्वीकृति एवं संवितरण की कार्यवाही उपरांत नियमानुसार योजना का लाभ प्राप्त होता है।

योजना का आलोचनात्मक विश्लेषण –

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की निम्नलिखित सीमाएं हैं, जिसके कारण योग्य आवेदकों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है –

1. आवेदक द्वारा अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर अधिकतम 1,50,000 रूपये तक की ही प्रतिपूर्ति की जा सकती है, जबकि वर्तमान में अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों का शुल्क इससे कहीं अधिक होता है।
2. इस योजना के अंतर्गत आवास एवं भोजन हेतु पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे विद्यार्थी के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है।
3. समय सीमा में पाठ्यक्रम पूर्ण न कर पान की स्थिति में योजना का लाभ मिलना बंद हो जाता है।
4. आवेदक द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने की स्थिति में उसकी रैंक 1,50,000 के अन्दर होना आवश्यक है। यह स्थिति योग्य आवेदकों हेतु न्यायप्रिय प्रतीत नही होती।
5. मध्यप्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., नर्सिंग तथा स्नातक स्तर के समस्त पाठ्यक्रमों को इस

योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, किन्तु निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये यह योजना लागू नहीं है।

6. निजी महाविद्यालयों में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता, जबकि प्रदेश में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय कम हैं।
7. यह योजना निजी क्षेत्र के केवल इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के बी.टेक. एवं बी.ई. पाठ्यक्रमों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिये लागू है। शेष निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों के लिये यह योजना लागू नहीं है। ऐसे में अशासकोय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की इच्छा रखने वाले छात्र इस योजना का लाभ नहीं ले पाते।
8. अशासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये यह योजना लागू नहीं हैं, जिस कारण इन महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की इच्छा रखने वाले छात्र इस योजना से व्रचित हो जाते हैं।
9. यदि विद्यार्थी किसी अन्य योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करता है, तो उसे इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में विद्यार्थी के समक्ष यह समस्या उत्पन्न होती है कि वह किस योजना से कितना लाभ प्राप्त करे अथवा न करे। इस कारण कई बार विद्यार्थी का आर्थिक नुकसान हो जाता है।
10. एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिये इस योजना का लाभ लेने हेतु बॉण्ड भरने की बाध्यता शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के लिये अलग–अलग है, जिससे विद्यार्थियों को महाविद्यालय का चयन करने में कठिनाई होती है।

नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की प्रगति –

नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुल 215 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 199 आवेदनों को प्रमाणित किया जाकर सभी आवेदनों की राशि का भुगतान किया गया। नर्मदापुरम जिले में वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भुगतान की गई कुल राशि 5 लाख 65 हजार 236 रूपये थी।

तालिका – 1

नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की प्रगति

क्र.	संस्था का नाम	कुल आवेदन	प्रमाणित आवेदन	स्वीकृत आवेदन	कुल भुगतान की गई राशि
1	कन्या महाविद्यालय, सिवनी मालवा	1	1	1	2692 रूपये
2	आई.टी.आई. नर्मदापुरम	1	1	1	0रूपये
3	कन्या महाविद्यालय, इटारसी	1	1	1	0रूपये
4	कन्या महाविद्यालय, पिपरिया	1	1	1	2696 रूपये
5	गृह विज्ञान महाविद्यालय, नर्मदापुरम	47	47	47	208028 रूपये
6	आई.टी.आई. इटारसी	11	10	10	4750 रूपये
7	कुसुम महाविद्यालय, सिवनी मालवा	15	15	15	53985 रूपये
8	एम.जी.एम. महाविद्यालय, इटारसी	7	7	7	0 रूपये
9	नर्मदा महाविद्यालय, नर्मदापुरम	31	31	31	131450 रूपये
10	पी.जी. महाविद्यालय, पिपरिया	48	37	37	107175 रूपये
11	आई.टी.आई., सोहागपुर	4	4	4	0 रूपये
12	आई.टी.आई., पिपरिया	1	1	1	0 रूपये
13	जे.एल.एम., सोहागपुर	38	36	36	0 रूपये
14	पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, इटारसी	9	7	7	54460 रूपये
	योग	215	199	199	565236 रूपये

स्त्रोत –ोजजचेरूध्ध्बीवसंतीपचचवतजंसण्उचण्दपबण्पद

निष्कर्ष –

समाज के प्रत्येक वर्ग को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिये देश के विभिन्न राज्यों में कई प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना भी एक ऐसी ही योजना है, जिसका उद्देश्य मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत माता–पिता की संतान को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि के माध्यम से उसके समस्त शैक्षणिक शुल्कों की प्रतिपूर्ति करते हुए उसे निःशुल्क उच्च शिक्षा

प्रदान कराना है। मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को उच्च शिक्षा के विभिन्न मान्य पाठ्यक्रमों में भारत सरकार अथवा मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग अथवा शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार यह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये सशक्त माध्यम प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के पात्र मेधावी विद्यार्थियों के लिये यह योजना उन्हें उच्च शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को संवारने का एक उचित अवसर प्रदान करती है।

संदर्भ –

1. प्रतिवेदन, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, 2022–23
2. ोजजचेरूध्ध्बीवसंतीपचचवतजंसण्उचण्दपबण्पद
3. दैनिक भास्कर, ई–समाचार–पत्र